उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-11/3-ई.एम./2012-का-4-2013
लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2013

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-3 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रख्यापित अधिसूचना संख्या-3-ई.एम./2012-का-4-2013, दिनांक 19.11.2013 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

(1) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल।
(2) प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
(3) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश राज्य के 02 हिन्दी एवं 02 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
(8) संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराने के अनुरोध के साथ।
(9) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-11/3-ई.एम./2012-का-4-2013
लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2013

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए निम्नलिखित में हहड़ताल को निषिद्ध करते हैं:-

(1) उत्तर प्रदेश के कार्य कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा में,

(2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा में तथा किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी सेवा में।

2. धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल महोदय, यह भी निर्देश देते हैं कि यह अधिसूचना सरकारी गजट में और राज्य के कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Personnel Section-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to publish the following English Translation of notification no. 3-E.M./2012-Ka-4-2013, dated November 19, 2013.

NOTIFICATION

No. 3-E.M./2012-Ka-4-2013

Lucknow : Dated : November 19, 2013

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub section (1) of section-3 of the Uttar Praeds Essentioal Service Maintenance Act, 1966 (U.P. Act No. 30 of 1966) the Governor is pleased to prohibit, for a period of six months from the date of publication of this notification in the Gazette, Strikes in :-

(1) any public service in connection with the affairs of the State of Uttar Pradesh ;

(2) any service under a corporation owned or governed by the Government and any service under a local authority.

2. In exercise of the powers under sub-section (2) of section-3 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that this notification shall be published in the official Gazette and in atleast two daily newspapers of Hindi and English of the State.

by order,

(Jawed Usmani)

Chief Secretary

http://Shasanadesh.up.nic.in